(12)

5रु. COURT भारत पाँच रुपये — 5रु. COURT भारत पाँच रुपये — 5रु. COURT भारत पाँच रुपये — 5रु. भारत पाँच रुपये — 5रु. भारत पाँच रुपये — 5रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

640/11-1-19

माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक — /2019 निगरानी निगरानी-0179/2019/देवास/भू.रा.

पार्थी अभिभाषक श्री मुख्तार खान
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 11-01-19
अधीक्षक 11.1.19
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

गुलरेज शेख पिताा साबीर हुसैन गजधर
निवासी 19, स्टेशन रोड देवास तहसील जिला
देवास — आवेदक

विरूद्ध

म.प्र.शासन — अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.

माननीय महोदय,

अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 1013/अपील/2017—18 में पारित दिनांक 13—11—2018 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर नकल के दिन मुजरा कर अंदर अवधि माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक अपीलार्थी द्वारा एक आवेदन 172(1) के अन्तर्गत व्यपवर्तन हेतु माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय देवास के समक्ष वर्ष 2013 में प्रस्तुत किया। जिसमें सम्पूर्ण कार्यवाही कर जांच प्रतिवेदन, नक्शा मौका, विधिवत विज्ञप्ति जारी कर, स्थल जांच पंचनामा, राजस्व निरीक्षक भूमि का जांच प्रतिवेदन, अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत किये गये उसके पश्चात अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा प्रकरण क्रमांक 109/अ—2/2012—13 पर दर्ज होकर उक्त प्रकरण में दिनांक 9—9—2013 को बिना किसी आधार के अनुपस्थिति में निरस्त कर दिया गया और अन्य प्रकरण 04/अ—2/2016—17 पंजीयन कर इसमें दूसरे तरह की जांच रिपोर्ट तलब कर अपीलार्थी आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया। उससे असंतुष्ट होकर कलेकटर महोदय के समक्ष प्रथम अपील

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(27)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-0179/2019/देवास/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/08/2019	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश दिनांक 13.11.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप प्रथम अपील में पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी के सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है। उक्त तथ्य के आधार पर यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	